रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 2018/फाल्गुन 29, 1939

No. 152] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2018/PHALGUNA 29, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2018

सा.का.नि. 243(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 29 अगस्त, 2017 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1115(अ), तारीख 29 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 29 अगस्त, 2017 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2018 को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,-

(i) नियम 4 में, मद संख्यांक 2 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों से पहले निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"1क आधार कार्ड";

(ii) नियम 14 के उप-नियम (1) में, "प्ररूप 4" शब्द और अंक के स्थान पर "प्ररूप 2" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) नियम 17 के उप-नियम (1) में, "प्ररूप 8" शब्द और अंक के स्थान पर "प्ररूप 2" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iv) नियम 18 के उप-नियम (1) में, "प्ररूप 9" शब्द और अंक के स्थान पर "प्ररूप 2" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(v) "प्ररूप 2" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 2

[नियम 10, नियम 14, नियम 17 और नियम 18 देखें]

शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति या यान के नए वर्गों को जोड़ने या चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण या पते या नाम के परिवर्तन के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी

पासपोर्ट आकार के फोटो के लिए स्थान

(ऑनलाइन आवेदन के लिए फोटो अपलोड करें जो कि 50केबी से अधिक न हो

निम्नलिखित के लिए लागू होने वाली सेवाएं (कृपया एकल या बहुसेवा, जहां कहीं लागू हो, के सामने चिन्ह	टिक करें)
नई लर्नर अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना	
नई चालन अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना	
चालन अनुज्ञप्ति के यानों के वर्ग को जोड़ना	
चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण	
अनुलिपि में चालन अनुज्ञप्ति	
चालन अनुज्ञप्ति के पते में परिवर्तन/शुद्धिकरण	
चालन अनुज्ञप्ति के नाम में परिवर्तन/शुद्धिकरण	

1. यानो की श्रेणी (सीओवी) : नई लर्नर अनुज्ञप्ति या नई चालान अनुज्ञप्ति के लिए अनुप्रयोज्य

बिना गियर वाली मोटर साइकिल (एमसीडब्ल्यूओजी)	
गियर वाली मोटर साइकिल (एमसीडब्ल्यूजी)	
हल्का मोटर यान यथा गैर परिवहन यान (एलएमवीएनटीवी)	
अविधिमान्य कैरिज (दिव्यांग द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यान)	
हल्का मोटर यान यथा परिवहन यान	
मध्यम या भारी माल या यात्री यान यथा परिवहन यान	
ई-रिक्शा	
ई-कोर्ट	
अन्य, जो कि उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न हो, जैसे कि हार्वेस्टर, एक्सलेटर फार्क लिफ्ट, टेलर्स क्रेन युक्त यान, कृषि ट्रेक्टर व पावर ट्रालर, टो-ट्रक्स ब्रेकडाउन वैन और रिकवरी यान, निर्माण उपस्कर यान	
स्पष्टीकरण :- 1. गैर परिवहन वाहनो में व्यक्तिगत उपयोग के लिए साइड कार रहित या सहित मोटर साइकिल, मोपेड, व्यक्तिगत उपयोग के लिए तीन पहिया वाहन, व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोटर कार, फोर्क लिफ्ट ;	

2. परिवहन यान में एक लोक सेवा यान, एक माल वाहन, एक शैक्षणिक संस्था बस या प्राइवेट सेवा यान शामिल है ; 3. हल्का मोटर यान में एक परिवहन यान या ओमीनी बस इनमें से जिसका कुल वजन या मोटर कार या ट्रेक्टर या रोड रोलर इनमेंसे किसी का गैर लदान वजन 7500 किलोग्राम से अधिक न हो शामिल है ; 4. मध्यम माल यान में कोई माल वाहन, जो हल्का मोटर यान या भारी माल यान के अलावा है, शामिल है ; 5. 5. भारी माल वाहन में कोई माल वाहक, जिसका कुल वजन या एक ट्रैक्अर या रोड रोलर, जिसमें से किसी का गैर लदान वजन 12000 किलोग्राम से अधिक न हो।	

2. आवेदक का व्यक्तिगत ब्यौरा (स्पष्ट अक्षरों में)

आधार का ब्यौरा, यदि आवेदक के पास पहले से ही उपलब्ध है	आधार कार्ड सं.			
आधार आवेदन संख्या का ब्यौरा, यदि आवेदन किया गया है	आधार कार्ड आवेदन सं.			
प्रथम नाम	मध्य नाम		आखिरी नाम	
लिंग (✓ इंगित करें)	पुरुष ☐ स्त्री ☐ ट्रांसजेंडर ☐		जन्म की तारीख : (दिनांक/माह/ वर्ष)	
शैक्षिक अर्हता			रक्त समूह	
ई-मेल (वैकल्पिक)			मोबाइल सं.	
दूरभाष सं. (वैकल्पिक)				

3. का नाम (✓ इंगित करें) पिता ☐ ाता ☐ ाति ☐ अभिभावक ☐

प्रथम नाम	मध्य नाम	आखिरी नाम

4. पता (संलग्न प्रमाण, नए लर्नर अनुज्ञप्ति या नए चालान अनुज्ञप्ति या पता के परिवर्तन के मामले में पता)

	वर्तमान पता (अनुज्ञप्ति पर मुद्रित होगा)	स्थायी पता (यदि वर्तमान पते से भिन्न हो)
मकान/डोर/फ्लैट सं.		
गली/मुहल्ला/पुलिस थाना		
अवस्थान/पहचान चिह्न		
गांव/नगर		
उप-जिला/तालुक/मंडल		
जिला		

राज्य		
पिन कोड		

5. परिवहन प्रवर्ग में यान की श्रेणी को जोड़ने के अनुरोध के मामले में, कृपया निम्नलिखित को भरें :

चालन स्कूल का नाम				
चालन स्कूल में नामांकन सं.				
चालन स्कूल में नामांकन की तारीख				
चालन स्कूल द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र सं.				
चालान स्कूल द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की तारीख				
चालान स्कूल में प्रशिक्षण की अवधि	तारीख से		तारीख तक	

6. वर्तमान अनुज्ञप्ति में विशिष्टियां (लर्नर या स्थायी)

अनुज्ञप्ति संख्या				
यान (यानों) की श्रेणी				
अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम				
विधिमान्यता अवधि	तारीख से		तारीख तक	

7. संलग्न दस्तावेजों की सूची (कृपया संलग्न उपाबंध को निर्दिष्ट करें या सही का निशान लगाएं)

<u>घोषणा</u>

मृत्यु की दशा में अपने अंग/उत्तक को दान करने का इच्छुक हूं हां/नहीं

मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि ऊपर दिए गए तथ्य और प्रस्तुत किए गए दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और असली है। मैं यह भी कथन करता हूं/करती हूं कि मुझे चालान अनुज्ञप्ति धारण करने से निरर्हित किया गया है/नहीं किया गया है ।

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा</u>

श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री ...., जो अवयस्क है, मेरी देखरेख में है तथा मैं उसके चालन का उत्तरदायित्व लेता हूं । यदि किसी पश्चातवर्ती तारीख को मैं उसके चालन के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता हूं तो मैं अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए लिखित में अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करूंगा । उसके द्वारा लर्नर अनुज्ञप्ति की अभिप्राप्ति के लिए मैं अपनी सहमति देता हूं ।

माता-पिता/संरक्षक का नाम :

आवेदक से उसका संबंध :

माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग के लिए

1. आवेदक को केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 6 के अधीन चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है। लर्नर अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है।			हां/नहीं
2. आवेदक को केंद्रीय मोटर यान अधिनियम, 1989 के नियम 11(2) के अधीन प्रारंभिक परीक्षण से छूट प्राप्त है। लर्नर अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है।			हां/नहीं
3. मामलों नामत: यातायात संकेतकों, यातायात सिग्नलों, चालक के वाहन द्वारा किसी दुर्घटना के समय उसके कर्तव्यों या चालन करते समय रखे जाने वाले दस्तावेजों आदि की उपयुक्त जानकारी और समझ का पता लगाने के लिए प्रारंभिक परीक्षण। केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का नियम 11 का उपनियम (1)	परीक्षण की तारीख	परिणाम (✓)	परीक्षण प्राधिकरण
		उत्तीर्ण/अनुतीर्ण/ अनुपस्थिति/ छूट प्राप्त	
4. चालन परीक्षण (केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का नियम 15)	परीक्षण की तारीख	परिणाम उत्तीर्ण/अनुतीर्ण	

लर्नर अनुज्ञप्ति /चालन अनुज्ञप्ति जारी ☐ अस्वीकृत ☐

अनुज्ञति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति)

उपाबंध

आवेदनकर्ता द्वारा अपलोड की गई या प्रस्तुत की गई दस्तावेज़ों की सूची

पता और आयु का सबूत (केवल एक का चयन करें यदि पता और आयु के लिए प्रमाण सामान्य है)

1. आधार कार्ड

2. निर्वाचक नामावली

3. जीवन बीमा पॉलिसी

4. पासपोर्ट

5. स्कूल प्रमाणपत्र

6. जन्म प्रमाणपत्र

7. राज्य सरकार या केंद्र सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी किए गए वेतन पर्ची

8. एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र

9. आवेदक की उम्र के अनुसार सिविल सर्जन की पंक्ति से नीचे नहीं पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा अनुदात्त प्रमाण पत्र

10. कोई अन्य दस्तावेज़ या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेज

अन्य दस्तावेज संलग्न या अपलोड किए जाने के लिए यदि लागू होने पर

1.फॉर्म -1 में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्वयं -घोषणा

2. फॉर्म-1 ए में चिकित्सा प्रमाणपत्र (यदि आवेदनकर्ता नवीकरण के लिए आवेदन कर रहा है और 40 साल से ऊपर है या परिवहन लाइसेंस के लिए आवेदन करना है ,का उपबंध करने के लिए

3. प्रपत्र 5 में ड्राइविंग स्कूल या प्रतिष्ठानों द्वारा जारी ड्राइविंग प्रमाण पत्र

4. आवेदक के मामले में जो अवयस्क है माता-पिता या अभिभावक घोषणा

5. फोटोग्राफ

6. पासपोर्ट एंड वीजा का वैध प्रमाण (केवल अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लि

7. विदेशियों के मामले में निवास के साक्ष्य के अतिरिक्त भारत में विधिक उपस्थिति का प्रमाण

8. अन्य दस्तावेज, यदि कोई हो

9. पुलिस शिकायत की प्रतिलिपि बनाई गई (यदि ड्राइविंग लायसेंस खो गया था या विकृत या विचलित या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो खो गया है)।

10. नाम परिवर्तन करने के लिए

(क) विद्यमान नाम

(ख) _________ के रूप में परिवर्तित किया जाना है

(ग) संलग्न दस्तावेज़ : -

(i) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक नोटरी पब्लिक के सामने शपथ ग्रहण किया

(ii) विवाह प्रमाणपत्र

(iii) समाचार पत्र विज्ञापन की प्रतिलिपि

(vi) "प्ररूप 4" का लोप किया जाएगा;

(vii) प्ररूप 6 में, प्रविष्टि के नीचे- जारी होने की तिथि_________, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"अंग / ऊतक दाता______ हाँ / नहीं ;

(viii) " प्ररूप 7" में प्रविष्टि के नीचे, , " जारी होने की तिथि________" निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"अंग / ऊतक दाता ________हाँ / नहीं";

(ix) प्ररूप 8" और " प्ररूप 9" का लोप किया जाएगा

[सं. आरटी -11012/27/2010-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 में प्रकाशित किया गया और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 201(अ), द्वारा तारीख 5 मार्च, 2018 किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2018

G.S.R. 243(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 29th August, 2017, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 1115(E), dated the 29th August, 2017 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 29th August, 2017;

And, whereas, no objections and suggestions have been received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2018.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, -

   (i) in rule 4, before item number 2 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

   "1A. Aadhaar Card," ;

   (ii) in rule 14, in sub-rule (1), for the word and figure "Form 4", the word and figure "Form 2" shall be substituted ;

   (iii) in rule 17, in sub-rule (1), for the word and figure "Form 8", the word and figure "Form 2" shall be substituted ;

   (iv) in rule 18, in sub-rule (1), for the word and figure "Form 9", the word and figure "Form 2" shall be substituted ;

   (v) for "Form 2", the following Form shall be substituted, namely:-

"**FORM2**

[See rules 10, 14, 17 and 18]

Form of Application for Learner's Licence Or Driving Licence Or Addition of a New Class of Vehicle Or Renewal of Driving Licence Or Change of Address Or Name

To,

The Licencing Authority
____
____

Space for passport size photograph (Upload the photo for online application of the size not more than 50KB)

Services applying for (Please Tick √ mark against single or multiple service, wherever applicable)	
Issue of New Learner's Licence	
Issue of New Driving Licence	
Addition of Class of Vehicle to Driving Licence	

Renewal of Driving Licence	
Duplicate Driving Licence	
Change / Correction of Address in Driving Licence	
Change / Correction of Name in Driving Licence	

1. Class of Vehicles (COV): Applicable for New Learner's Licence or New Driving Licence

Motor Cycle Without Gear (MCWOG)	
Motor Cycle With Gear (MCWG)	
Light Motor Vehicle as Non Transport Vehicle (LMV NTV)	
Invalid Carriage (vehicles for use by Divyang)	
Light Motor Vehicle as Transport Vehicle	
Medium or Heavy Goods or Passenger Vehicle as Transport Vehicle	
E-Rickshaw	
E-Cart	
Others; which is not covered in any of the above categories including, Harvester, Excavator, Fork lift, Trailers, Crane mounted vehicles, Agricultural tractor and power tiller, Tow trucks, Breakdown Van and Recovery vehicles, Construction equipment vehicles.	

Explanation .-

1. Non - Transport Vehicles include Motor Cycle with or without sidecar for personal use, Mopeds, Three Wheeled vehicles for personal use, Motor Car for personal use, Fork Lift;
2. Transport vehicle includes a public service vehicle, a goods carriage, an educational institution bus or private service vehicle;
3. Light motor vehicle includes a transport vehicle or omnibus the gross vehicle weight of either of which or a motor car or tractor or road-roller the unladen weight of any of which, does not exceed 7,500 kilograms;
4. Medium goods vehicle includes any goods carriage other than a light motor vehicle or a heavy goods vehicle;
5. Heavy goods vehicle includes any goods carriage the gross vehicle weight of which, or a tractor or a road-roller the unladen weight of either of which, exceeds 12,000 kilograms.

2. Personal details of the Applicant (in Capital Letters)

Details of Aadhar card, if already available with the applicant.	Aadhar Card number		
Details of Aadhar application number if applied.	Aadhar Card application number		
First Name	Middle Name	Last Name	
Gender (Tick √)	Male ☐ Female ☐ Transgender ☐	Date of Birth: (dd/mm/yyyy)	
Educational Qualification		Blood Group	
Email (optional)		Mobile number	
Landline Number (optional)			

3. Name of(Tick √) Father ☐ Mother ☐ Husband ☐ Guardian ☐

First Name	Middle Name	Last Name

4. Address (proof to be enclosed, *in case of New Learner's Licence or New Driving Licence or Change of Address*)

	Present Address (shall be printed on Licence)	Permanent Address (Only if different from Present Address
House/Door/Flat No.		
Street/Locality/Police Station		
Location/Landmark		
Village/Town		
SubDist/Taluk/Mandal		
District		
State		
Pin code		

5. In case of request for Addition of a Class of Vehicle in Transport Category, please fill the following:

Driving School Name				
Enrollment number in the Driving School				
Enrollment date in the Driving School				
Certificate number issued by the Driving School				
Certificate date as issued by the Driving School				
Training period in the Driving School	From date		To date	

6. Particulars of existing Licence (Learner's or Permanent)

Licence Number				
Class of Vehicle(s)				
Name of the Licencing Authority which issued the Licence				
Validity Period	From Date		To Date	

7. List of Documents attached (Please refer to the attached annexure and tick)

<u>DECLARATION</u>

I am willing to donate my organ/tissue in case of death YES/NO

I declare that the facts stated above and documents submitted are true and genuine to the best of my knowledge and belief. I also state thatI have/ have notbeen disqualified from holding a Driving Licence.

Date: **Signature of the Applicant**

DECLARATION under sub-section (2) of section 7 of the Motor Vehicles Act, 1988

Shri/Smt./Kumari____son/daughter of ____________________________ who is a minor is under my care and I accept responsibility for his/her driving. If at a later date I decide not to accept responsibility for his /her driving, I shall inform the licensing authority in writing for the cancellation of the licence. I give my consent for his / her obtaining the learner's licence.
Name of the parent / guardian:
Relationship with the applicant:

Signature of the parent / guardian

FOR OFFICE USE ONLY

1. The applicant is exempted from production of a medical certificate under Rule 6 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989; Learner's licence may be issued.	**YES /NO**
2. The applicant is exempted from the Preliminary Test under sub-rule (2) of Rule 11 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989; Learner's licence may be issued.	**YES /NO**

3. Preliminary Test to check adequate knowledge and understanding of the matters namely traffic sighs, traffic signals, duties of driver in case of his vehicle being involved in an accident, or documents to be carried while driving etc,. Sub-rule (1) of Rule 11 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989	Date of Test	Result (√) Pass / Fail / Absent/ Exempted	Testing Authority
. Driving Test (Rule 15 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989)	Date of Test	Result Pass / Fail	

The Learner's licence / Driving Licence is Issued ☐ Refused ☐ .

Signature of licensing authority
(or other person authorised in this behalf)

ANNEXURE

LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED OR UPLOADED BY THE APPLICANT

Proof of Address and Age. (Select only one if the proof is common for Address and Age)

1. Aadhar Card ☐
2. Electoral Roll ☐
3. Life Insurance Policy ☐
4. Passport ☐
5. School Certificate ☐
6. Birth Certificate ☐
7. Pay slip issued by any office of the State Government or Central Government or a local Body ☐
8. Affidavit sworn before an Executive Magistrate or Notary Public or First Class Judicial Magistrate ☐
9. A certificate granted by a Registered Medical Practitioner not below the rank of Civil Surgeon as to the age of the applicant ☐
10. Any other document or documents as may be specified by State Government ☐

Other documents to be enclosed or uploaded if applicable

1. Self Declaration for Physical Fitness in Form – 1 ☐

2. Medical Certificate in Form- 1A (to be provided if the applicant is applying for renewal and is above 40 years of age or applying for Transport Licence) ☐

3. Driving Certificate issued by Driving School or Establishments in Form 5 ☐

4. Parent or Guardian Declaration in case of applicant who is a minor ☐

5. Photograph ☐

6. Valid proof of passport andvisa (for International Driving Permit only) ☐

7. Proof of legal presence in India in addition to proof of residence in case of Foreigners ☐

8. Other documents, if any. ☐

9. The copy of police complaint made(in case the Driving Licence was lost or mutilated or defaced or damaged, lost). ☐

10. For change of name -

(a) Existing name ________________________________

(b) Name to be changed as __________________________

(c) Documents enclosed:-

(i) Affidavit sworn before a First Class Judicial Magistrate or a Notary Public ☐

(ii) Marriage certificate ☐

(iii) Copy of newspaper advertisement ☐

.";

(vi) "Form 4" shall be omitted ;

(vii) in Form 6, below the entry "Date of issue…………………..", the following shall be inserted, namely:-

"Organ/ tissue donor………………..YES / NO" ;

(viii) in "Form 7", below the entry "Date of issue…………………..", the following shall be inserted, namely:-

"Organ/ tissue donor………………………. YES / NO" ;

(ix) "Form 8" and "Form 9" shall be omitted.

[F. No. RT-11012/27/2010-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R.201(E),dated the 5th March, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.26 12:13:24 +05'30'